इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 515]   भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 20, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्र. 25532-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 26 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०१२

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, २०१२

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१२ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ९ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:— **अनुसूची का संशोधन.**

अनु-क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
"१०.	टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय, सिरोंज, जिला विदिशा.	टेक्नो इंडिया ट्रस्ट, कोलकाता.	भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ (१८८२ का २) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.	टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय, सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश."

३. (१) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१२ (क्रमांक ४ सन् २०१२) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा. उक्त उपबंध के आलोक में, विनियामक आयोग ने सिरोंज, जिला विदिशा में टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय के नाम से एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है. उक्त अधिनियम की धारा ६ के आलोक में राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में विश्वविद्यालय के प्रायोजी निकाय को आशय पत्र जारी कर दिया है. उक्त अधिनियम की धारा ९ में उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से संतुष्ट होने के पश्चात, उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विशिष्टयों को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१२ (क्रमांक ४ सन् २०१२) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २२ नवम्बर २०१२.

लक्ष्मीकांत शर्मा
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१२ (क्रमांक ४ सन् २०१२) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के साथ लाया जाए.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 520] भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 21, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

क्र. 7980-371-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 26 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 26 OF 2012

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN VIDHEYAK, 2012.

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhiniyam, 2012.

Amendment of Schedule.

2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 9 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

S. No. (1)	Name of Private University (2)	Name of Sponsoring body (3)	Mode of forming Sponsoring body (4)	Main campus (5)	Jurisdiction (6)
"10.	Techno Global University, Sironj, District Vidisha.	Techno India, Trust, Kolkata.	Public Trust Registered under the Indian Trusts Act, 1882 (No. 2 of 1882).	Techno Global University Sironj, District Vidisha (Madhya Pradesh).	Whole of Madhya Pradesh".

Repeal and saving.

3. (1) The Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesh, 2012 (No. 4 of 2012) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In Section 5 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), it is provided that the Regulatory Commission constituted under the Act shall evaluate the proposal of establishment of Private University in the State. In the light of the said provision, the Regulatory Commission has recommended to establish a Private University, namely, Techno Global University at Sironj, District Vidisha. In the light of Section 7 of said Act, the State Government has issued a letter of intent to the sponsoring body of the University, with regard to the establishment of the said University. Section 9 of the said Act provides that after being satisfied with the report submitted by the Regulatory Commission, a private University shall be established by incorporating the name and description thereof in the Schedule to the said Act.

2. As the matter was urgent and the Madhya pradesh Legislative Assembly was not in session, the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesh, 2012 (No. 4 of 2012) was promulgated for the purpose. It is now proposed to replace the said Ordinance by an Act of the State Legislature without any modification.

3. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated the 22nd November 2012.

LAXMIKANT SHARMA
Member-in-charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.